प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-01.03.2025

थाना सैयदराजा चन्दौली

◆**राहगीरों से मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीन शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**

◆**लूट की मोटरसाइकिल सहित 02 मोटरसाइकिल बरामद**

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा मोटरसाइकिल लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए लूट की मोटरसाइकिल सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

पूर्व की घटना:-दिनांक 27.02.2025 को वादी मेघनाथ सेठ पुत्र रामदास सेठ निवासी ग्राम सावठ थाना दुर्गावती जिला कैमूर भभुआ बिहार अपने रिश्तेदार सच्चितानन्द वर्मा पुत्र श्री राधेश्याम सेठ निवासी ग्राम मनिहारी थाना भभुआ बिहार के साथ अपनी मोटरसाइकिल Tvs apache (BR45M8721) से वाराणसी से बिहार के लिए जा रहे थे। रिश्तेदार सच्चितानन्द के बैग में चांदी के गहने थे। रात्रि 10:00 बजे के करीब वादी की मोटरसाइकिल भतीजा मोड़ से करीब 2 KM किलोमीटर हाईवे पर बिहार की ओर बढ़ी तो JIO पेट्रल पम्प के सामने एक अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात व्यक्ति वादी की गाड़ी को ओवरटेक कर गाड़ी को जबरदस्ती रोकवाकर चाभी निकाल लिये। रिश्तेदार सच्चिदानन्द से बैग तथा अपाची गाड़ी को छीनने लगे लेकिन सच्चितानन्द बैग लेकर पेट्रोल पम्प कि ओर भाग गया। परंतु तीनों बदमाशों ने वादी को धमकाकर उसकी अपाची मोटरसाइकिल छीनकर भाग गये।

घटना का अनावरण:-

◆आज दिनांक 01.03.2025 को थाना सैयदराजा पर नियुक्त निरीक्षक अपराध दिलीप श्रीवास्तव, उ.नि. रामप्यारे चौधरी मय हमराह को चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दिनांक 27.02.2025 थानाक्षेत्र एनएच 02 हाइवे पर स्वर्णकार के साथ लूट की घटना कारित करने में विफल व उसकी मो.सा. की लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त जो बड़ी डिलियी की तरफ से आने वाले है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस बल द्वारा भतीजा अण्डर पास के पास चेकिग प्रारंभ की गयी तभी लूट की बाईक अपाचे पर सवार कुल तीन व्यक्ति व एक अन्य बाईक से एक व्यक्ति आते दिखाई दिये। सामने पुलिस बल को देख अपाचे सवार पीछे बैठा व्यक्ति कूदकर भाग गया। अन्य लोगो को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से लूट की मो.सा. अपाचे भी बरामद किया गया।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर दिनांक 28.02.2025 को मु.अ.स. 27/2025 धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता 2023 का अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.कुलदीप यादव उर्फ सत्या पुत्र मराछू यादव निवासी ग्राम काजीपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र करीब 20 वर्ष

2.अमित मौर्या पुत्र रामसुधार मौर्या निवासी ग्राम खरखौली पो0 बगही कुम्भापुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र करीब 21 वर्ष

3.संदीप सेठ पुत्र मुन्ना सेठ निवासी बगही कुम्भापुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र करीब 26 वर्ष

गिरफ्तारी व बरादगी का स्थान व समय:-

एनएच 02 हाइवे भतीजा अण्डर पास के पास

दिनांक 01.03.2025

समय 01:10 AM

बरामदगी का विवरण:-

लूट की मो.सा.अपाचे (BR45M8721)

एक प्लेटिना मो.सा.

एक एन्ड्राडय

एक कीपैड मोबाइल

220 रुपये चिटबन्दी का रुपया

पुलिस टीम का विवरण

प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय सैयदराजा जनपद चन्दौली

निरीक्षक अपराध- दिलीप श्रीवास्तव थाना सैयदराजा चन्दौली।

उप निरीक्षक रामप्यारे चौधरी थाना सैयदराजा चन्दौली।

हे.का. नसीरुद्दीन हुमायु थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

हे.का. गौरव राय थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

का. अजय पटेल थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली